कार्यालय– राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक / 201-203 /रा0गां0न0वि0 / अतिथि शिक्षक / 2024–25 दिनांक 07 ~~अगस्त~~ सितम्बर 2024

नितान्त अस्थाई व्यवस्था के तहत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन के माध्यमिक शिक्षा अनुभाग –1 के शासनादेश संख्या–1185 / XXIV-B-1/2020- 04(57) / 2005 दिनांक 26 नवम्बर 2020, संख्याः 1046 / XXIV-B-1/2020- 04(57) / 2005 दिनांक 26 नवम्बर 2020 तथा शासनादेश संख्याः 1023 / XXIV–नवसृजित / 18–32(01) / 2013TC-V दिनांक 22 नवम्बर 2018 में निहित प्राविधानों के तहत उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति के अन्तर्गत संचालित रा0गां0न0वि0 देहरादून में निम्नांकित पदों पर नियत मानदेय पर अतिथि शिक्षकों का चयन नितान्त अस्थाई व्यवस्था के तहत किया जाना है। इस हेतु जनपद–देहरादून के स्थायी निवासी जो पद के अनुरुप आवेदन पत्र के साथ संलग्न विवरणानुसार निर्धारित अर्हता के साथ–साथ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण एवं संचार (Communication) में अनिवार्य रूप से सक्षम हो, उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग के पोर्टल से आनलाईन आवेदन (https://educationportal.uk.gov.in) पर आमंत्रित किये जाते है। उक्त बेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से निम्न सारणी के अनुसार ही किये जा सकते है। आवेदन हेतु अर्हताऐं एवं अन्य विस्तृत जानकारी https://educationportal.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

कम संख्या	पदनाम (अतिथि शिक्षक)	रिक्त पदों की संख्या
अतिथि शिक्षक पी0जी0टी		
1	पी0जी0टी0 –हिन्दी	01 (एक)
2	पी0जी0टी0 – कम्प्यूटर विज्ञान	01 (एक)
अतिथि शिक्षक टी0जी0टी		
3	टी0जी0टी0– विज्ञान	01 (एक)
4	टी0जी0टी0– सामाजिक विज्ञान	01 (एक)
5	टी0जी0टी0– कला	01 (एक)
6	टी0जी0टी0– अंग्रेजी	01 (एक)

प्राचार्य
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
ननूरखेड़ा देहरादून।

पृ0सं0 / ✓ /रा0गां0न0वि0 / अतिथि शिक्षक / 2024–25 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को विद्यालयी शिक्षा की बेबसाइट https://educationportal.uk.gov.in पर अपलोड करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. सम्पादक, अमर उजाला, हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रेषित की कृपया उक्त विज्ञप्ति को दिनांक देहरादून संस्करण में डी0ए0पी0पी0 दरों पर 09 के फॉन्ट पर न्यूनतम कॉलम में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में विद्यालय कार्यालय को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
3. कार्यालय पत्रावली।

प्राचार्य
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
ननूरखेड़ा देहरादून।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून

कार्यालय– राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, देहरादून

नितान्त अस्थाई व्यवस्था के तहत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

खण्ड : (क) – निर्धारित तिथि

राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेडा, देहरादून (आवासीय विद्यालय) में PGT हिन्दी–01, PGT कम्प्यूटर–01, TGT विज्ञान–01, TGT अंग्रेजी–01, TGT कला–01, TGT सामाजिक विज्ञान–01 के रिक्त पदों पर नितान्त अस्थाई व्यवस्था के तहत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग के पोर्टल https://educationportal.uk.gov.in पर निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1.	वेबसाइट https://educationportal.uk.gov.in पर [illegible] प्रकाशित होने की तिथि	09 सितम्बर 2024
2.	उपरोक्त बेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि	11 सितम्बर 2024
3.	उपरोक्त बेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	30 सितम्बर 2024
4.	उपरोक्त बेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकपत्र व प्रमाण पत्रों में संशोधन करने की प्रकिया	03 अक्टूबर 2024 से 09 अक्टूबर 2024 तक
5.	उपरोक्त वेबसाइट पर अर्ह/अनर्ह सूची प्रकाश की तिथि	18 अक्टूबर 2024
6.	चयन समिति के समक्ष सम्प्रेषण कौशल (कक्षा शिक्षण) Demo Teaching की तिथि	23 अक्टूबर 2024 TGT एवं 25 अक्टूबर 2024 PGT
7.	उपरोक्त वेबसाइट पर अन्तिम चयनित सूची का प्रकाशन जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त अनुमोदन के पश्चात किया जायेगा।	

01– ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व सभी आवेदक आनलाइन पोर्टल पर समस्त नियमों, शैक्षिक योग्यताओं एवं शर्तों का भलीभाँति अवलोकन करने के पश्चात ही आवेदन करें।

02– विज्ञापन के बिन्दु संख्या 04 पर अंकित अंकपत्र व प्रमाण पत्रों में संशोधन करने की निर्धारित तिथि के पश्चात यदि कोई आवेदन त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरा पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा।

03–समस्त अर्ह अभ्यर्थी सम्प्रेषण कौशल (कक्षा शिक्षण) Demo Teaching के दिन अपने मूल अंक व प्रमाण पत्रों, समस्त प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित दो–दो छायाप्रतियो एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित होंगे।

04–अन्तिम मेरिट के आधार पर समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को अपने समस्त प्रमाण पत्रों (मूल रूप) के साथ एक सप्ताह के अन्तर्गत विद्यालय में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

प्राचार्य
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

7/09/24
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून

उत्तराखंड, देहरादून

5703/2024

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 663 /XXIV-B-1/24–32(02)/2011 TC
देहरादून : दिनांक : 04 मार्च, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) संशोधन सेवा नियमावली, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
4(1) इस नियमावली के अधीन सामान्य एवं महिला शाखा में प्रत्येक मण्डल के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा।	**4(1)** इस नियमावली के अधीन सामान्य एवं महिला शाखा में प्रत्येक मण्डल के लिए सेवा का एक संवर्ग होगाः परन्तु यह कि ऐसे सहायक अध्यापक एल0टी0, जिन्होंने अपने मूल संवर्ग (जिस संवर्ग में नियुक्त हुए हैं) में न्यूनतम 5 (पांच) वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार शासन के अनुमोदनोपरान्त संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य होगी। संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में शासन द्वारा SOP निर्गत की जायेगी।

नियम 8 का संशोधन

3. उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 8 के उपनियम(1) के खण्ड (पांच) एवं (सात) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

क्रम	**पदनाम**	**स्तम्भ–1** **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(पांच)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (कला)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राईंग एवं पेन्टिंग / ड्राईंग डिजाइन / प्राविधिक कला / पेंटिंग (फाइन आर्ट) / पेंन्टिग (visual Art) विषय में स्नातक की उपाधि। **टिप्पणीः–उपर्युक्त विषय स्नातक के सभी वर्ष / सेमेस्टर में होना अनिवार्य है।**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्रांइग एवं पेन्टिंग / फाइन आर्ट (पेंन्टिग) / Visual Art (पेंन्टिग) विषय में स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।
		अथवा	**अथवा**
		राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बी0ए0एड0 की न्यूनतम चार वर्षीय उपाधि।	~~राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से~~ कला विषय में बी0ए0एड0 की न्यूनतम चार वर्षीय उपाधि।
(सात)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (संगीत)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (वादन अथवा गायन) विषय में स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्विद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (वादन अथवा गायन) विषय में स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।
		अथवा	**अथवा**
		(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्विद्यालय से स्नातक उपाधि। (2) स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्विद्यालय से स्नातक उपाधि। (2) स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में

सीनियर डिप्लोमा या भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।	सीनियर डिप्लोमा या भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।
अथवा	**अथवा**
उत्तराखण्ड भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।	उत्तराखण्ड भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।
अथवा	**अथवा**
प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से पांच वर्षीय संगीत प्रभाकर।	प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से छः वर्षीय संगीत प्रभाकर।

नियम–22 का संशोधन **4.** मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये नियम 22 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
22(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम–18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय कम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहेः	**22(4)** जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम–18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय कम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहेः
परन्तु यह कि–	**परन्तु यह कि–**
(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती है वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुरार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।	(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती है वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।

(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।	(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।
(3) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियक्तियां की जाती हैं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।	(3) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियक्तियां की जाती हैं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।
(4) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उसके मण्डलीय संवर्ग की सम्बन्धित शाखा में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी है।	(4) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उसके मण्डलीय संवर्ग की सम्बन्धित शाखा में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी है।
	(5) नियम–4(1) के अनुसार सहायक अध्यापक एल0टी0 के मण्डल/संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में नवीन संवर्ग में पदस्थापित शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन

संवर्ग में कनिष्ठतम होंगे।

परिशिष्ट का संशोधन 5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1
विद्यमान परिशिष्ट

पद का नाम	वेतनमान
सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका	44900–142400 लेवल–7 (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)

सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंकः–

(क) **परीक्षा**– परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के वहुविकल्पीय प्रश्नों, पर आधारित होगी। परीक्षा प्रश्न–पत्र के निम्न दो भाग होंगे :–

1. **भाग** एक –शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। – **100 अंक**

2. **भाग** दो– जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु। – **100 अंक**

स्तम्भ–2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

पदनाम	वेतनमान
सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका	44900–142400 लेवल–7 (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)

सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंकः–

(क) **परीक्षा**– परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के वहुविकल्पीय प्रश्नों, पर आधारित होगी। परीक्षा प्रश्न–पत्र के निम्न दो भाग होंगेः–

1. **भाग एक** – शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान – **50 अंक**

2. **भाग दो** – जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु – **50 अंक**

आज्ञा से,

Signed by Raman Ravinath
Date: 04-03-2024 18:45:12

(रविनाथ रामन)
सचिव

जनपद देहरादून के स्थायी निवासी जो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में सक्षम हो, से नितान्त अस्थाई व्यवस्था के तहत नियत मानदेय पर नियमित नियुक्ति अथवा शासन द्वारा अन्य निर्णय लिये जाने तक (जो भी पहले हो) पर निम्नलिखित शर्तो एवं नियमों के अन्तर्गत अतिथि शिक्षक के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अति महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. यह पद नितान्त अस्थाई है। नियमित नियुक्ति होने अथवा शासन द्वारा अन्य निर्णय लिये जाने तक जो भी पहले हो मान्य होगा।
2. अभ्यर्थी देहरादून जिले का स्थायी निवासी हो **(सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)**
3. विद्यालय आवासीय होने के फलस्वरूप चयनित होने पर अभ्यर्थी को नियमानुसार विद्यालय के 24 घण्टे कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत तत्सम्बन्धी समस्त सेवायें यथा समय देनी होंगी।
4. अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण एवं संचार (Communication) में सक्षम हो।
5. **पदवार अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का विवरण–** –ऐसे अभ्यर्थी ही शिक्षण कार्य हेतु रखे जा सकेगें जो निर्धारित पदों हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमों/नियमावली (उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली–2008 यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 2014 यथा संशोधित 2019, 2021) के अनुसार निम्नवत पदवार शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताधारी हो।

क्र0 सं0	पदनाम	वांछित योग्यता
01	पी0जी0टी0 हिन्दी	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर की उपाधि। 2. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालया से शास्त्री की उपाधि। 3. राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
02	पी0जी0टी0 कम्प्यूटर साइंस	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0) **अथवा** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम0सी0ए0) की उपाधि।
03	टी0जी0टी0 विज्ञान	1. भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान के साथ विज्ञान स्नातक उपाधि।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून

		2. किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि। **अथवा** एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed.) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो। **3.** टी0जी0टी0 विज्ञान पद हेतु CTET-II अथवा UTET-II उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
04	**टी0जी0टी0 सामान्य (सामाजिक विषय)**	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्ही दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि परन्तु उक्त दो विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो। 2. किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि। **अथवा** एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed.) भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्ही दो विषयों के साथ उत्तीर्ण हों। **3.** टी0जी0टी0 सामान्य (सामाजिक विषय) पद हेतु CTET-II अथवा UTET-II उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
05	**टी0जी0टी0 अंग्रेजी**	1. भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक उपाधि। 2. किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि। **अथवा** एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed.) अंग्रेजी साहित्य के साथ उत्तीर्ण। **3.** टी0जी0टी0 अंग्रेजी पद हेतु CTET-II अथवा UTET-II उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
06	**टी0जी0टी0 कला**	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राईंग एवं पेन्टिग/ ड्राईंग डिजाइन/ प्राविधिक कला/ पेंटिंग(फाइन आर्ट)/ पेंन्टिग (Visual Art) विषय में स्नातक उपाधि। **टिप्पणी– उपर्युक्त विषय स्नातक के सभी वर्ष/सेमेस्टर में होना अनिवार्य है।** **अथवा** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बी0ए0एड0 की न्यूनतम चार वर्षीय उपाधि।

6. अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में , जिन्हे सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया है को उच्चतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

7. उक्तानुसार शिक्षण कार्य हेतु रखे गये अभ्यर्थियों का नियमित नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में उन्हें रू0–100.00 (रू0 एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र जो कि ओथ कमिश्नर द्वारा निर्गत हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्याः सेवा–2/13571–76/अतिथि शिक्षक(मूल्यांकन)/2023–24 दिनांक 26 जुलाई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में चयनित अभ्यर्थी के अध्यापन कार्य का प्रत्येक माह समीक्षा की जायेगी। समीक्षोपरान्त कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप संतोषप्रद न पाये जानें पर सम्बन्धित के अनुबन्ध निरस्त के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

9. शैक्षिक, प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र यथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, सेवायोजन प्रमाण–पत्र इत्यादि निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करनें हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हों।

10. यदि किसी अभ्यर्थी का कोई भी शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव/स्थायी प्रमाण–पत्र/सेवायोजन प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण–पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसका अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

11. अभ्यर्थियों के द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन के आधार पर प्राप्त मैरिट सूची को मूल प्रमाण–पत्रों से मिलान किये जाने तथा सुसंगत शासनादेशों में निहित प्राविधानों/योग्यताओं में अर्ह पाये जानें तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के पश्चात प्राचार्य द्वारा प्रत्येक पद हेतु प्रथम वरीयताप्राप्त अभ्यर्थी को शिक्षण कार्य हेतु अनुबन्धित किया जायेगा।

12. अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड़ के किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करनें हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक पंजीकृत होना अनिवार्य है।

13. ऐसे अभ्यर्थी उत्तराखण्ड़ विद्यालयी शिक्षा निदेशालय से नियमित नियुक्ति अथवा शासन द्वारा अन्य निर्णय लिये जाने तक जैसी भी स्थिति हो, तक के लिए शिक्षण कार्य हेतु रखे जा सकेगें। निर्धारित अवधि से पूर्व यदि किसी अभ्यर्थी का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्राचार्य की संस्तुति के आधार पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उसे बिना किसी पूर्व सूचना के शिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।

14. रिक्ति का विवरण

क्र0सं0	पद का नाम	विषय	पदों की संख्या
1	पी0जी0टी0	हिन्दी	01 (एक)
2	पी0जी0टी0	कम्प्यूटर साइंस	01 (एक)
3	टी0जी0टी0	विज्ञान	01 (एक)
4	टी0जी0टी0	सामान्य (सामाजिक विषय)	01 (एक)
5	टी0जी0टी0	अंग्रेजी	01 (एक)
6	टी0जी0टी0	कला	01 (एक)

15. **मानदेय–** उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप देय होगा, वर्तमान प्रचलित शासनादेश के अनुसार टी0जी0टी0 हेतु रू0–27,000.00 (रू0 सत्ताइस हजार)/प्रतिमाह तथा पी0जी0टी0 रू0 30,000.00 (रू0 तीस हजार मात्र)/प्रतिमाह देय होगा।

...श्री विद्यालयों ... प्रगति की समीक्षा।
10. निर्माण कार्यों की वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
11. आई0सी0टी0 एवं डिजिटल हार्डवेयर (वर्च...
12. व्यावसायिक शिक्षा।
13. ...

16. प्रमाण पत्रों के मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के समय अभ्यर्थी समस्त शैक्षिणिक एवं प्रशिक्षण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित गेस्ट टीचर शिक्षण अनुभव प्रमाण--पत्र व नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करेंगे।

17. अभ्यर्थियों का चयन शासनादेश में वर्णित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

क्र0 सं0	पद	UTET-II / CTET-II	स्नातक के गुणांक	स्नातकोत्तर के गुणांक	अनिवार्य प्रशिक्षण (बी.एड. /एल.टी. /बी.पी.एड. /अन्य जैसी स्थिति हो)		शिक्षण अनुभव के गुणांक*	योग
					लिखित	प्रयोगात्मक		
1	टी0जी0टी0	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत / 10	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत / 10	–	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत / 20	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत / 20	1 माह–1 अंक एक शैक्षिक सत्र–4 अंक (अधिकतम्) एक शैक्षिक सत्र से अधिक शैक्षिक सत्रों की सेवा हेतु उक्तानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जायेंगें, शिक्षण अनुभव के अधिकतम् 12 अंक देय होगें।	
2	पी0जी0टी0	–	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत / 10	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत / 10	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत / 20	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत / 20	1 माह–1 अंक एक शैक्षिक सत्र–4 अंक (अधिकतम्) एक शैक्षिक सत्र से अधिक शैक्षिक सत्रों की सेवा हेतु उक्तानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जायेंगें, शिक्षण अनुभव के अधिकतम् 12 अंक देय होगें।	

शासनादेश के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण, प्रशिक्षण एवं संचार की क्षमता हेतु उक्तानुसार श्रेष्ठता सूची तैयार कर प्रत्येक पदवार वरीयतानुसार प्रथम पांच अभ्यर्थियों को डेमो टीचिंग एवं शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के मूल प्रमाण–पत्र से मिलान/सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

18. **अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव गुणांकः** अभ्यर्थी द्वारा किसी माह में 15 दिन से अधिक शिक्षण कार्य किए जाने पर एक माह के समतुल्य शिक्षण अनुभव के अंक प्रदान किये जायेगें, 15 दिन से कम की अवधि में कोई अंक देय नहीं होगें। कार्यरत गेस्ट टीचर को वरीयता अंक प्रदान किये जाने के दृष्टिगत शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा जो पूर्व में प्रचलित शासनादेशों में विहित व्यवस्था के अनुसार पूर्व में राज्य के किसी राजकीय विद्यालय में गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्ति रहे हो। सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत शिक्षण अनुभव प्रमाण–पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। **टी.जी.टी.** के पद हेतु शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा जो नियमानुसार **कक्षा–09 एवं कक्षा–10** के लिए शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त रहे हों। **पी.जी.टी.** पद हेतु शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा जो नियमानुसार **कक्षा–11 एवं कक्षा 12** के लिए नियुक्त रहे हों।